

उत्तर प्रदेश शासन  
प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-2  
संख्या-2172/सोलह-2-2010-5(E)/2010  
लखनऊ : दिनांक :: 07 जनवरी, 2011

(16)

नियुक्ति / विज्ञप्ति

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० के अन्तर्गत राजकीय पालीटेक्निक, उ०प्र० में व्याख्याता/प्रवक्ता अंग्रेजी के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियमित चयन के फलस्वरूप लोक सेवा आयोग, उ०प्र० की संस्तुति के आधार पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित अभ्यर्थियों को व्याख्याता/प्रवक्ता अंग्रेजी के पद पर वेतनमान रू० 8000-275-13500 (संशोधित वेतनमान रू० 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रू० 5400/-) में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए उन्हें निम्नलिखित तालिका के कालम-4 में उल्लिखित संस्था में तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं एवं वे तैनाती की तिथि से दो वर्ष की परिबीक्षा पर रहेंगे:-

क्र० सं०	नाम/पिता का नाम	स्थायी पता	तैनाती संस्था का नाम
1	2	3	4
1.	कु० कोयल हाजरा पुत्री श्री मृगाल कांति हाजरा	एन०जी०चौधरी रोड, दुलमी नडीहा, पुरूलिया (पश्चिम बंगाल)	राजकीय पालीटेक्निक, मुरादाबाद
2.	श्री ज्ञानेश्वर प्रताप सिंह पुत्र श्री उदय नारायण सिंह	ग्राम-परसिया भिखम, पोस्ट-मरकड़ा, जिला-देवरिया (उ०प्र०)	राजकीय पालीटेक्निक, बस्ती
3.	श्री संतोष कुमार सिंह पुत्र श्री श्यामजी सिंह	श्याम कुटी, ग्राम व पोस्ट भगवानपुर, बी०एच०यू० वाराणसी (उ०प्र०)	राजकीय पालीटेक्निक, मऊ
4.	श्री विशाल राय पुत्र श्री मिठाई लाल	ग्राम व पोस्ट-बेलावाँ (नौपेडवाँ), जिला-जौनपुर (उ०प्र०) 222109	राजकीय पालीटेक्निक, गोण्डा

2- उपर्युक्त अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त वेतनमान के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे। इस तैनाती के लिए उपर्युक्त अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

3- उपर्युक्त अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि उनकी पूर्ववृत्त एवं चरित्र सत्यापन रिपोर्टें संबंधित अधिकारियों से अभी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुई हैं। संबंधित अभ्यर्थियों की पूर्ववृत्त एवं चरित्र सत्यापन की रिपोर्टें प्राप्त होने पर, यदि प्रतिकूल पायी जायेगी तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

P.T.O.

- 4- उपर्युक्त अभ्यर्थियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक से दो माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लें अन्यथा उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- 5- इन अधिकारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

राम गणेश  
विशेष सचिव।

संख्या-2172(i)/सोलह-2-2010, तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
2. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, कानपुर।
3. कोषाधिकारी, मुरादाबाद/बस्ती/मऊ/गोण्डा।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक, मुरादाबाद/बस्ती/मऊ/गोण्डा को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि संबंधित अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की सूचना और निर्धारित समय के अन्दर कार्यभार ग्रहण न करने की सूचना शासन व निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, कानपुर को तत्काल भेजें।
5. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र०, इलाहाबाद को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-619/23/डी०आर०/एस-12/08-09टी०सी०-1, दिनांक 20.09.2010 के संदर्भ में।
7. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग।
8. अनुभाग अधिकारी, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3
9. आदेश पुस्तिका, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-2
10. संबंधित अभ्यर्थीगण:-

क्र०सं०	नाम/पिता का नाम	पत्र व्यवहार का पता
1	2	3
1.	कु० कोयल हाजरा पुत्री श्री मृणाल कांति हाजरा	अनमोल हास्टल, द्वारा श्री शरद कुमार ओझा, 117, दरभंगा कालोनी, इलाहाबाद
2.	श्री ज्ञानेश्वर प्रताप सिंह पुत्र श्री उदय नारायण सिंह	द्वारा श्री सुजीत कुमार सिंह सी-27/249ए, जगतगंज, वाराणसी (उ०प्र०)
3.	श्री संतोष कुमार सिंह पुत्र श्री श्यामजी सिंह	श्याम कुटी, ग्राम व पोस्ट भगवानपुर, बी०एच०यू० वाराणसी (उ०प्र०)
4.	श्री विशाल राय पुत्र श्री मिठाई लाल	द्वारा श्री महेन्द्र कुमार (स०अ०) जनता जनार्दन इण्टर कालेज मुहकुडा चुनार मिर्जापुर (उ०प्र०)

आज्ञा से,



(मन्दन लाल)  
उप सचिव।